

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(2)राज/वाद/14पार्ट-11

जयपुर, दिनांक 26.05.17

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (8) व लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 15,16 एवं 17 के अनुसरण में तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 (1989 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 22) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री पंकज जैन, अधिवक्ता (एनरोलमेंट नं0 आर /753/96) को विशिष्ट न्यायालय (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण) अजमेर में राज्य पक्ष की ओर से प्रकरणों की पैरवी करने हेतु विशिष्ट लोक अभियोजक (अजा/अजजा,अ.नि.प्र.), अजमेर के रिक्त पद पर मासिक रिटर्नशिप रूपये 16,800/- प्रतिमाह (निश्चित) पर दिनांक 31.05.18 या अग्रिम आदेशों तक (जो भी पहले हो) के लिए नियुक्त किया जाता है।


आज्ञा से,


(रीटा तेजपाल)

विशिष्ट शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशेषाधिकारी (एस) माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
4. महाधिवक्ता, महोदय राजस्थान जयपुर।
5. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
6. जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर।
7. विशिष्ट न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.) अजमेर।
8. जिला कलक्टर, अजमेर।
9. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राज पत्र में प्रकाशनार्थ।
10. कोषाधिकारी अजमेर।
11. संबंधित अभिभाषक।
12. समस्त उपविधि परामर्शी, विधि विभाग।
13. सहायक लेखाधिकारी वादकरण।
14. प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।


(रीटा तेजपाल)

विशिष्ट शासन सचिव, विधि